

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

Registered

क्रमांक: एफ. 14()2015/बारां रोड़स/एफसीए/प्रमुवसं/ 2459

दिनांक: 10.7.19

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र)
पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच,
अलीगंज, लखनऊ-226024 (उ०प्र०)

विषय:- डायवर्जन ऑफ 2.27 है० ऑफ फोरेस्ट लैण्ड फोर कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड़ फ्रॉम हिंगलोट टू मदनाखेड़ी इन राजस्थान इन बारां फोरेस्ट डिवीजन।
संदर्भ:- आपका पत्रांक 8बी/राज/06/35/2015/एफसी/824 दि. 15.02.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र से चाहे गये बिन्दुओं की पूर्ति कर मुख्य वन संरक्षक, कोटा ने अपने पत्रांक क्रमशः 1496 दिनांक 05.03.2019 (प्रतियाँ संलग्न), 3211 दिनांक 27.05.2019 (प्रतियाँ संलग्न) से इस कार्यालय को प्रेषित की है जो इस कार्यालय की सहमति सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

बिन्दु सं.	वांछित आक्षेप	अनुपालना
1.	Item wise break-up of the forest area involved and area calculation is not given.	एरिया केलकुलेशन शीट प्रस्ताव के पार्ट-1 में संलग्न कर दी गई है। हार्ड प्रति संलग्न हैं।
2.	Approval of the competent authority is not given.	सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्वीकृति प्रमाण-पत्र संलग्न हैं।
3.	Required No objection certificate is not provided.	उप वन संरक्षक द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न हैं।
4.	The original SOI topo sheet (1:50,000 scale) of proposed land to be diverted as well as CA land has not given with proposal.	मूल जी.टी. शीट (प्रत्यावर्तित वनभूमि एवं क्षतिपूरक योजना हेतु) संलग्न हैं।
5.	In proposed CA land the net suitable area for plantation as per GIS DSS Analysis is 1.3 ha. only which is less then area mentioned in the proposal.	प्रकरण में 2.27 है० वनभूमि के प्रत्यावर्तन की एवज में प्राप्त गैर वनभूमि 2.27 है० में से 1.30 है० भूमि ही वृक्षारोपण योग्य होने से 1.30 है० भूमि पर गैर वनभूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना वर्तमान श्रमिक दर पर तैयार कर संलग्न प्रेषित हैं। अवशेष 0.97 है० गैर वनभूमि पर चूँकि 1067 पौधे लगाने हैं, जो परिभ्रांषित वनक्षेत्र में लगाये जाने प्रस्तावित है। परिभ्रांषित वन क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मॉडल 700 पौधे प्रति है० अनुसार 1067 पौधे 1.53 है० परिभ्रांषित वनभूमि में रोपित किये जावेंगे। तदनुसार 1.53 है० वनभूमि पर वृक्षारोपण योजना की निर्धारित प्रपत्र में संलग्न हैं। परिभ्रांषित वनक्षेत्र हेतु उपलब्ध मॉडल 700 पौधे प्रति है० का है अतः 1067 पौधे 1.53 है० में लगाये जावेंगे। अतः अवशेष पौधे हेतु 1.53 है० वनभूमि पर परिभ्रांषित वनक्षेत्र के मॉडल के अनुरूप वर्तमान श्रमिक दर पर तैयार कर संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्न:- उक्तानुसार।
(कुल किता-तेरह एवं सी.डी.)

भवदीय,

(डॉ. गोविन्द सागर भारद्वाज)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक:

क्रमांक: एफ. 14()2015/बारां रोड़स/एफसीए/प्रमुवसं/
प्रतिलिपि:-

मुख्य वन संरक्षक, कोटा को उनके पत्रांक क्रमशः 1496 दि. 05.03.2019, 3211 दि. 27.05.2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

(गणेश कुमार वर्मा)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर